न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 51/2024

प्रार्थीगण

1. श्रीमति कमला पत्नी जीयाराम
2. मधु पुत्री जीयाराम
3. लीला देवासी पुत्री जीयाराम जातियान राईका निवासीगण चादेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भंवराराम पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासी चादेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. श्रीमति रूपली पत्नी भंवराराम जाति राईका निवासी चादेलाव तहसील बिलाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः- प्रार्थी - श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1व 2-श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3- सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांकः-** 09/04/25

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम चादेलाव तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 221/14 रकबा 1.6180 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 368 रकबा 1.6180 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 368/2 रकबा 0.7038 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.9398 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/9 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 1का तथा 1/9 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 2 का तथा 1/9 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 3 का तथा 1/3 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 का तथा 1/3 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से 2 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थीगण इसके लिए तैयार नही हुये तो प्रार्थीगण अपने 1/9-1/9 वां हिस्से की भूमि का बंटवाडा का अलग से प्रार्थीगण की

खातेदारी में दर्ज कराने के लिए दावा पेश करना पड रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचन पैदा कर रहे है, तथा बिना बंटवाडा कराये भूमि का बैचान हस्तान्तरण की कोशिश की जा रही है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है। प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण भूमि खसरा नंबर 221/14 रकबा 1.6180 हैक्टयर, खसरा नंबर 368 रकबा 1.6180 हैक्टयर, खसरा नंबर 368/2 रकबा 0.7038 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.9398 हैक्टयर के खातेदार एवं काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थीगण के हक में है। अप्रार्थीगण की नाजायज दखल नहीं रोकी गयी तो अपूर्णनीय हानि प्रार्थीगण को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 221/14 रकबा 1.6180 हैक्टयर, खसरा नंबर 368 रकबा 1.6180 हैक्टयर, खसरा नंबर 368/2 रकबा 0.7038 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.9398 हैक्टयर वाके मौजा चांदेलाव में मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने का आदेश फरमावें। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो अता फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जो बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, वो गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया होने से काबिले निरस्तनीय है जिसमे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। पद सं. 2 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कभी भी काश्त करने से नहीं रोका गया तथा न ही किसी प्रकार की प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की गयी। वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी है तथा अप्रार्थीगण की आजीविका काश्त कार्य से ही चलती है, इसलिए पुश्तैनी कृषि भूमि को बैचान करने प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा

अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कभी भी बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन नहीं किया गया तथा न ही तहसील में चलकर बंटवाडा करने हेतु कहा। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि अप्रार्थीगण अपने बंट की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अगर प्रार्थीगण द्वारा स्थगन की आड में अप्रार्थीगण को उनकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयें में नहीं आंका जा सकेंगा।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 3 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण कमला एवं अप्रार्थीगण भंवराराम जो परस्पर सहखातेदार भी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 09/12/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा